



भारत में चुनाव सुधार

II



भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- आदर्श आचार संहिता (1969): राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- 61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988): मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989): अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तित
- बूथ कैप्चरिंग (1989): ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993): मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993): मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधा

- उप-चुनाव के लिये समय-सीमा: विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- उम्मीदवारों के नामों की सूची: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
- मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- अन्य (स्वतंत्र)
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता: 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है।
- भारत के राष्ट्रीय द्वंद्व, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- प्रॉक्सी वोटिंग (2003): सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003): जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004): दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- मतदाता सत्यापित पेपर ऑफिट ट्रेल (VVPAT) (2013): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरूआत
- EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015): उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं।
- चुनाव बॉन्ड की शुरूआत (2017 बजट): राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
- SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
तारकुंडे समिति	1974	जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	चुनाव सुधार
वोहरा समिति	1993	अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनावों का राज्य वित्त पोषण
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में)
तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/electoral-reforms-in-india-2>

